न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 48/15

1. कामडया
2. मडठू पुत्रान भौरया जातियान रेगर निवासीयान पालसोद तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांटान

बनाम

1. नाथ्या पुत्र लटूरया (मृतक)
   1/1. राजाराम
   2/1. गणपत पुत्रान स्व0नाथ्या जातियान रेगर निवासीयान पलासोद तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
   1/3. गुडडी पुत्र स्व0 नाथ्या पत्नि मुकेश निवासी ग्राम कुशलपुर तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर
   1/4. कमला पुत्र स्व0नाथ्या जाति रेगर ग्राम पलासोद तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
   1/5. नारायणी पत्नि स्व0 नाथ्या जाति रेगर निवासी पलासोद तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
2. मोती
3. कल्लू पुत्रान जाति रेगर ग्राम पलासोंद तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
4. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास
मु0न0 64/11 निर्णय दिनांक 29.1.15)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री हर्षवर्धन शर्मा
2. रेस्पोडेटान की और से श्री तरूण शर्मा

निर्णय

दिनांक 03.10.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के मु0नं0 64/11 निर्णय दिनांक 29.1.15 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान ने एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी ख0न0 120 रकबा 45 ऐयर, ख0न0 122 रकबा54 ऐयर मोजा बाढ पलासोद तहसील बामनवास अपीलांट/सायलान की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी रेस्पो0/गैरसायलान के नाम से गलत रूप से दर्ज है। रेस्पो0/गैरसायलान 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। जिन्होने भूमि को आपस मे बांट रखा है। रेस्पो0/गैरसायल न0 1 ने 10000/–रूपये आषाढ सुदी 5 सम्वत 2052 को बिना ब्याज उधार लिये थे तथा भूमि गिरबी रख दी थी। जिसका खाता लिखवाया था। उसी दिन दिनांक 17.6.95 को 25000/–रूपये 2 रूपये सैकडा से उधार लिये थे व कब्जा करा दिया । रेंस्पो/गैरसायलान संख्या 2 व 3 ने भी 17.6.1997 को 15000/– रूपये लेकर ख0न0 122 पर कब्जा करा दिया व लिखावट अपीलांट/सायलान की बही मे कर दी। इस भॉति रेस्पो/गैरसायलान के अधिकार समाप्त हो चुके है। अपीलांट/सायलान का एडवर्स पेजेसन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इस कारण रेस्पो/गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अपीलांट/सालयान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं रिकार्ड के विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा दिनांक 17.6.95 से लगातार चला आ रहा है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बामनवास मे चले प्रकरण संख्या 140/11मे रेस्पो0 ने भूमि पर कब्जा अपीलांट का माना है तथा कब्जा मानकर

Scanned by CamScanner

अपीलांट को धारा 447,427,504 आई पी सी के आरोप से बरी किया गया है। अपीलांट का प्रथम दृष्टया केस साबित है। सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे है एवं अपूर्णनीय क्षति भी अपीलांट को है। रेस्पो0 का कोई दावा भूमि को रहन से एवं अपीलांट के कब्जे से छुडाने का नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट का दावा चलने योग्य नही है एवं रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। ग्राम बाढ पलासोद तहसील बामनवास स्थित भूमि ख0न0 120 रकबा 0.45 है तथा ख0न0 122 रकबा 0.54 है अपीलांट/सायलान के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी रेस्पो/गैरसायलान के नाम गलत रूप से दर्ज है। रेस्पो0 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। भूमि ख0न0 120 व 122 को मौके पर रेस्पो0 ने पिछले 34 वर्ष से भी अधिक समय से आपस मे बांट रखी है। जिसके अनुसार भूमि ख0न0 120 पर रेस्पो0 संख्या 1 नाथ्या काबिज रहा है तथा भूमि ख0न0 122 पर रेस्पो0 संख्या 2 व 3 काबिज रहे है। आसाढ सुदी 5 सम्वत 2052 को अपीलांटान से 10000/–रूपये रेस्पो0 संख्या 1 ने बिना ब्याज उधार लिये तथा अपनी जमीन ख0न0 120 गिरबी रख दी। इस बाबत एक खाता नाथ्या ने अपीलांटान की बही मे कन्नू महाजन से लिखवाकर नाथ्या ने अपनी अगूठा निशानी कर दी। तथा गवाह ग्यारसा, मूल्या रेगर की अगूठा निशानी कर तथा राधेश्याम गवाह के हस्ताक्षर करा दिये तथा कन्नू महाजन से लिखिया के नाते अपने हस्ताक्षर कर दिये। इसी दिन यानि आसाढ सुदी 5 सम्वत 2052 तदनुसार दिनांक 17.6.95 रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांटान से 25000/–रूपये दो रूपये सैकडा माहवार ब्याज दर से रोकडी उधार लिये एवं अपनी भूमि पर अपीलांटान के पक्ष मे कब्जा करा दिया। इस प्रकार रेस्पो.0 संख्या 1 ने उक्त कुल 35000/–रूपये के पेटे अपनी भूमि ख0न0 120 रकबा0.45 है अपीलांटान के पक्ष मे रखते हुए अपीलांटान का कब्जा करा दिया व 25000/–रूपये का जो बही मे खाता लिखा है वह रेस्पो0 संख्या 1 ने कन्नू महाजन से लिखवाया है जिसे पर रेस्पो0 संख्या 1 ने अगूठा निशानी की है। खाते मे स्पष्ट लिखा है कि रेस्पो0 संख्या 1 नाथ्या रेगर ने जो भूमि रखकर अपीलांटान का कब्जा कराया है उसके पूर्व दिशा मे धनजी गुर्जर का खेत, पश्चिम दिशा मे पुकरा,कन्हैया (दोनो भाई) का खेत, उत्तर मे अपीलांटान कामडया,मडठू का खेत तथा दक्षिण मे गोपी रेगर यानी रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का खेत ख0न0 122 है। अपीलांटान भूमि ख0न0 120 पर वर्ष 1995 से अधिकार पूर्वक बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इस भूमि से रेस्पो0 के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है तथा अपींलाटान को एडवर्स पेजेसन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने अपीलांटान को सम्वत 2054 मे पैसे लेकर भूमि ख0न0 122 पर कब्जा संभला दिया है। पैसे लेंने की लिखावट मे स्पष्ट रूप से लिखा है कि भूमि ब्याज सहित सम्पूर्ण पैसा वापिस लौटाने पर छुटेगी। लिखावट मे भूमि की सीमा निर्धारित की हुई है कि किस दिशा मे किसका खेत है। रेस्पो0 द्वारा उक्त खातो के पेटे आज तक कोई राशि अपीलांटान को जमा नही कराई है। अपीलांटान का कब्जा लगातार भूमि पर चलता आ रहा है। दिनांक 1.6.11 को अपीलांटान अपनी उक्त भूमि खेत ख0न0 120 व 122 पर खेतो की संभाल व साफ कर रहे थे इतने मे रेस्पो0 अनाधिकृत रूप से आ गये एवं अपीलांटान से कहा कि हम इस भूमि को काश्त करेगे। तुम अब अपना कब्जा हटाओ तब अपीलांटान ने रेस्पो0 से कहॉ की हमारा रूपया ब्याज सहित नही लौटाया है तथा भूमि पर हम अधिकार पूर्वक काबिज है तुम हमे परेशान मत करो। परन्तु रेस्पो0 ने धमकी दी एवं अनेक प्रकार के झूठे मुकदमो मे फसाने की धमकी दी गई। यही वाद कारण होने के कारण अपीलांट/सायलान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर इस्तदुआ चाही गई थी। परन्तु अधिनस्थ द्वारा अपीलांटान के विरूद्व निर्णय पारित किया है। जो न्यायहित मे सही नही है। अतः अपीलं अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.1.15 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटान/सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस अपील में कथन है कि ख0न0 120 रकबा 45 ऐयर, ख0न0 122 रकबा 54 ऐयर ग्राम पलासोद रेस्पो0/गैरसायलयन की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। अपीलांट जबरदस्ती पेड काटकर ले गये जिसका चालान न्यायालय मे पेश किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपींलाट/सायलान का प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप खारिज किया है। विवादित आराजीयात कभी भी अपीलांट/सायलान की खातेदारी व कब्जे की भूमि नही रही है। आज भी उक्त भूमि रेस्पो0 की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलांट का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नही है। रेस्पो0 1 ता 3 का विवादित आराजीयात का विधिक बंटवारा नही हुआ है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि कमलेश द्वारा 25000/–रूपये दर्ज लेना अंकित किया है जबकि कमलेश की अरसा करीब 10 वर्ष पूर्व नाबालिग अवस्था मे मृत्यु हो चुकी है। कमलेश की शादी भी नही हुई थी वह रेस्पो/गैरसायलान 2 व 3 के साथ ही रहता

Scanned by CamScanner

था। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन मिथ्या एवं झूठा है कि कमलेश ने अपीलांट से कर्जा लिया हो। अपीलांट का यह कथन कि दावे मे वादीगण अपने आप ही बिना किसी आधार के खातेदार घोषित है। तो फिर दावा करने की क्या आवश्यता थी। अपीलाट द्वारा केवल मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर विवादित आराजीयात का खातेदार माना जा रहा है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय की अनेक नजीरो से स्पष्ट है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अपीलांटान द्वारा अपने परिवार के साथ मिलकर जबरदस्ती ताकत के बल पर पेडो को काटकर ले जाने पर उनके विरूद्व माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया गया था। फिर भी पुनः अपीलांटान द्वारा पेड काटकर ले जाने पर रेस्पो/गैरसायलान के साथ मारपीट करने पर 6 व्यक्तियो के खिलाफ न्यायालय मुन्सफी मे चालान पेश किया जा चुका है। अपीलांट का रेस्पो0 की तरफ कुछ कर्जा था जिसके ब्याज दर ब्याज जोडकर कई लाख रूपये मांग रहे है इस बाबत रेस्पो/गैरसायल न0 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र ऋण निर्धारण नाथ्या बनाम कामडया एवं रेस्पो0/गैरसायल 1 व 2 द्वारा न्यायालय ऋण निवारण (तरिष्ठ खण्ड) गंगापुर सिटी मे पेश की है। यदि रेस्पो0/गैरसायलान की तरफ कोई कर्जा है तो वह न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा। अपीलांट गिरोहबंद एवं लठठवाज लोग है। बिना किसी अधिकार के रेस्पो0 को नाजायज परेशान करते है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बिलकुल निराधार तथ्यो के आधार पर पेश किया है। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानो का मद्देनजर रखते हुए अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है। वह विधि अनुरूप है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षो की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2067 के ख0न0 120 रकबा 0.45 है0, ख0न0 122 रकबा 0.54 है0 मे रेस्पो0के नाम दर्ज रिकार्ड है। अपीलाट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात पर वह वतौर कब्जे के आधार पर स्वतः ही खातेदार है जबकि उनके द्वारा ना तो इस न्यायालय मे इस बाबत कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश किया है जिससे उनका कब्जा काश्त सिद्व होता हो। जबकि रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे विवादित आराजीयात की जमाबंदी व गिरदावरी प्रस्तुत की है जिससे रेस्पो0 का कब्जा व खातेदारी अधिकार स्पष्ट है। अपीलांट का कथन रहा है कि रेस्पो0 द्वारा नकद राशि उधार प्राप्त कर विवादित आराजीयात पर कब्जा संभलाया गया है। नकद राशि ब्याज सहित लेने देने से किसी भी भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। नकद राशि प्राप्त करने के लिए कानून मे अलग से व्यवस्था की गई है। इस प्रकार एक खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानूनन एवं विधि के विरूद्व है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने से पहले प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ पाईमफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को साबित करना होता है। जिसे अपीलांट द्वारा ना तो इस न्यायालय मे साबित किया गया है ना ही अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त विवचेन से हमारे मतानुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाईश नही होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास मु0न0 64/11 निर्णय दिनांक 29.1.15 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

3.10.19.

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.11 17:11:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: